

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0आ0-ना0नि0)अनुभाग-7  
संख्या- 41 /XXVII(7)/2008  
देहरादून : दिनांक 19 मई, 2016

अधिसूचना  
प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टिसमेंट) नियमावली, 2008 में अंग्रेज़ी संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टिसमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टिसमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मूल नियम 3 के उपनियम-10 का संशोधन।

2 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टिसमेंट) नियमावली, 2008 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में वर्तमान नियम 3 के उपनियम (10) के पश्चात एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा अर्थात:-

“परन्तु यह कि कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्यरहित में एवं कार्यों के त्वरित सम्पादनार्थ सक्षम अधिकारी (तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी) की पूर्वानुमति से वित्तीय हरत पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 369 का अनुपालन करते हुए व्यावहारिक होने की दशा में यथा आवश्यकता कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकेगा।”


मूल नियम 42 के उपनियम (1) का संशोधन।

मूल नियमावली के वर्तमान नियम 42 के उपनियम (1) के पश्चात एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा अर्थात:-

17

"परन्तु यह कि कार्य की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य के निर्वादन के अन्तर्गत कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्षेत्र में एवं कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु सक्षम अधिकारी (तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी) की पूर्वानुमति से वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 369 का अनुपालन करते हुए व्यावहारिक होने की दशा में यथा आवश्यकता कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकेगा।"

आज्ञा से,

  
(डी०एस० गर्वाल)  
सचिव।